

11. मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी

क्र.	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
6					

12. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता

13. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता

14. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में क्या पुलिस थाने में सूचना दी गई है, यदि हां तो पुलिस थाने का नाम

15. आवेदक का बचत खाता

आवेदक/खाताधारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	पिन कोड

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

:: घोषणा पत्र ::

मैं कुमारी/श्री/श्रीमती पिता/पति.....

निवासी सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर मुझे प्रदाय की गई आर्थिक सहायता राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली की जा सकती है।

14. संलग्न दस्तावेज का विवरण

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 1
(भाग - एक)

1. ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवार की आय व नये मुखिया के बारे में तस्दीक/जांच प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय कुमारी/श्री/श्रीमती पिता/पति आयु निवासी ग्राम/नगरीय वार्ड क्रमांक की मृत्यु दिनांक को कारणों से हुई।
2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सर्वे सूची क्रमांक पर अंकित है या मेरे द्वारा स्वयं की गई जांच के आधार पर प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि समस्त स्रोतों से मृतक के परिवार की वार्षिक आय लगभग रुपये प्रतिवर्ष थी तथा उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है।
3. स्वर्गीय कुमारी/श्री/श्रीमती की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से दुर्घटनावश हुई है तथा इस संबंध में पुलिस धाना में प्रकरण क्रमांक दर्ज हुआ है।
4. कुमारी/श्री/श्रीमती जो कि मृतक का/की है (संबंध बताये) को आर्थिक सहायता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि अब वे ही परिवार के मुखिया के रूप में इस परिवार की देखरेख व पालन पोषण करेंगे/करेंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर
ससचिव/पंच/सचिव, ग्राम
पंचायत
नगर निकाय के सचिव
वार्ड मेम्बर या अधिकृत
अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा सील

// सत्यापन //
कार्यालय जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/ नगर परिषद
जिला..... म.प्र.

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है, कि कुमारी/श्री/श्रीमती
पिता/पति निवासी ग्राम/नगर.....
विकासखण्ड..... जिला..... द्वारा
जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद
जिला को प्रस्तुत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के आवेदन
पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरान्त निम्न कारणों से आवेदक को आर्थिक सहायता राशि
स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

5. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति होने के कारण आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
6. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

गवाह (नाम एवं हस्ताक्षर) :-

1.

2.

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा
अधिकृत अधिकारी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता - _____

1. आवेदक का नाम एवं पता - _____

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक - _____

3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है - _____

उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किन्तु

आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं - _____

4. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख - _____

स्थान.....
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-4 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।